उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

संख्या- 4 /2020/ जी-1-21(1)/ दस-2020-37/2019

लखनऊ : दिनांक 12 मई , 2020

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य कतिपय अप्रासंगिक भत्तों को पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2020/ जी-1-37/ दस-2019, दिनांक 22 अगस्त , 2019 से तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। कोविड-19 की महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आयी कमी एवं साथ ही कोविड-19 महामारी के रोकथाम संबंधी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चत किये जाने की दृष्टि से ऐसे भत्तों, जो केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त किये जा चुके हैं या केन्द्र सरकार में हैं ही नहीं और राज्य सरकार में अनुमन्य होते आ रहे हैं, को भी समाप्त किये जाने पर विचार किया गया।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि भारत सरकार द्वारा नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त किया जा चुका है। केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही सम्मानजनक वेतन संरचना राज्य सरकार द्वारा निरन्तर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य किये जाने की नीति के दृष्टिगत नगर प्रतिकर भत्ता को समाप्त किया जाना औचित्यपूर्ण एवं आवश्यक पाया गया।

अतएव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04/2018/जी-1-103/दस-2018-227/2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ता को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त के फलस्वरूप राज्य सरकार की अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियेां एवं कर्मचारियेां को भी नगर प्रतिकर भत्ता देय नही होगा।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।